मकान निर्माण हेतु रियायती दरों पर ऋण

306. **श्री अजीत जोगी:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार ने मकान निर्माण हेतु रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में क्या प्रबंध किए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितना ऋण प्रदान किया गया है;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान आवास ऋण के संबंध में सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू): (क) जहां तक शहरी आवास का संबंध है, केन्द्रीय सरकार मकान-निर्माण के लिए ऋण नहीं देती है। तथापि आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) जो पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों एवं निम्न आय वर्गों के लिए ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में आवास योजनाएं लाने के लिए विभिन्न एजेंसियों जैसे राज्य आवास बोर्डों, विकास प्राधिकरणों, कोआपरेटिव, गैर-सरकारी संगठनों आदि को रियायती ब्याज दरों पर ऋण देता है। आवास योजनाओं के लिए हुडको का 55% वार्षिक आवंटन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों एवं निम्न आय वर्ग के लिए निर्धारित है।

(ख) हुडको द्वारा पिछले तीन वर्षों अर्थात 1994-95 से 1996-97 के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों एवं निम्न आय वर्गों के लिए संस्वीकृत राज्य-वार ऋण का विवरण अनुपत्र में दिया गया है। **(देखिए परिशिष्ट 181, अनुपत्र संख्या 12)**

(ग) हुडको ऋण की संस्वीकृति के संबंध में सरकार को कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) उक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

International Conference on Urban Housing

307. SHRI AKHILESH DAS: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a three day International Conference on Urban Housing is scheduled to be held in Goa from 2nd October, 1997; and

(b) if so, what is the objective of this conference?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (DR. U. VENKATESWARLU): (a) Yes, Sir.

(b) The Conference is being organised with the objective of exchanging and learning from each other about problems and issues and share experiences in planning, designing and management of urban habitat.

राज्यों को पेय जल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय सहायता

308. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को नगरपालिका क्षेत्रों में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु अब तक कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) उपर्युक्त सहायता से वास्तव में कितने राज्यों के नगरपालिका क्षेत्रों में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(ग) 1996-97 और 1997-98 के वर्षों के लिए गुजरात को इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(घ) 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के वर्षों के दौरान किन-किन नगरपालिकाओं को ऐसी वित्तीय सहायता का लाभ प्राप्त हुआ था?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू): (क) और (ख) 1993-94 में आरम्भ किये गये केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत 24 राज्यों में 227 पेय जल आपूर्ति की स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में कुल 76.49 करोड़ रुपये मुहैया कराये गये।

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान गुजरात राज्य को 70 लाख रुपये जारी किये गये। 1997-98 के दौरान अब तक उस राज्य को कोई धन जारी नहीं किया गया है क्योंकि गुजरात, पहले ही जारी किए जा चुके केन्द्रीय अंश के लिए अपना समान अंश जारी करने में असफल रहा है।